जन–सुनवाई कार्यवृत्त

भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत मैसर्स रामा देवी शर्मा, माईनिंग जो कि (खसरा नम्बर 868, 873, 867, 871, 878, 4, 133, 134) में कार्यरत है जिसका एम.एल. नम्बर 09/1993 खनन पट्टा क्षेत्रफल 89.3645 हैक्टेयर, कुल उत्पादन क्षमताः– 7,04,446 टी.पी.ए. (रोम) {बॉल क्ले एण्ड फायर क्ले – 3,75,290 टी.पी.ए., एवं उओ.बी.– 3,29,157 टी.पी.ए.} है, उक्त प्रस्तावित खनन परियोजना की खनन क्षमता में वृद्वि बाबत पर्यावर्णीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाई दिनांक 21.03.2023 को ग्राम पंचायत भवन मढ़, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर (राजस्थान) में मध्यान्ह 3.00 बजे से माननीय जिला कलक्टर बीकानेर के प्रतिनिधि श्री ओमप्रकाश, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, प्रशासन बीकानेर की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

जनसुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर परिशिष्ठ "अ" में सलंग्न है। जनसुनवाई बाबत विज्ञप्ति दिनांक 16.02.2023 को समाचार पत्र दैनिक भास्कर एवं दैनिक युगपक्ष में प्रकाशित करवाई गई थी जिसकी प्रतियाँ परिशिष्ठ "ब" में संलग्न है।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए श्री प्रदीप कुमार आसनानी, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडल, बीकानेर ने सभी आगन्तुकों का स्वागत करते हुए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अंतर्गत सुनवाई की आवश्यकता /प्रक्रिया के बारे में अवगत करवाया एवं बताया कि उक्त जनसुनवाई खनन इकाई मैसर्स रामादेवी शर्मा की खनन उत्पादन क्षमता में वृद्वि हेतु किये गये आवेदन के तहत करवाई जा रही है। तत्पश्चात श्री आसनानी द्वारा श्री ओमप्रकाश, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, प्रशासन एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर को जनसुनवाई की कार्यवाही शुरू करने एवं उपस्थित आमजन को संबोधित करने हेतु निवेदन किया गया। श्री ओमप्रकाश, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, प्रशासन एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने सभी का अभिवादन करते हुए आमजन से कहा कि उक्त जनसुनवाई मैसर्स रामादेवी शर्मा की खनन उत्पादन क्षमता में वृद्वि हेतु आयोजित की गई है एवं बताया कि उक्त खनन परियोजना से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी खनन परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार द्वारा दी जायेगी। श्री ओमप्रकाश द्वारा सभी आमजन से खनन परियोजना से जुड़ी जानकारी को ध्यान से सुनने एवं समझने हेतु निवेदन किया गया तथा पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा सम्पूर्ण जानकारी प्रस्तुत करने के बाद आपत्ति या सुझाव दर्ज करवाने हेतु भी निवेदन किया गया। इसके पश्चात श्री ओमप्रकाश, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, प्रशासन एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने मैसर्स रामा देवी शर्मा, माइन्स के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार मैसर्स ''एनवायरोग्रीन कंसल्टेंट्स (आई) प्रा. लि.'' को उक्त खनन परियोजना से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया।

परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार मैसर्स ''एनवायरोग्रीन कंसल्टेंट्स (आई) प्रा. लि'' के प्रतिनिधि श्री श्यामलाल सुखवाल द्वारा बॉल क्ले एवं फायर क्ले खनन परियोजना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया, जिसके अन्तर्गत बताया कि खनन इकाई का एम एल नम्बर 09/1993, कुल खनन क्षेत्र **89.3645** हेक्टेयर, खनिज–बॉल क्ले, फायर क्ले एवं उत्पादन क्षमताः– 7,04,446 टी.पी.ए. (रोम) **{बॉल क्ले, फायर क्ले–3,75,290 टी.पी.ए. तथा ओ.बी.–3,29,157 टी.पी.ए. }** है। तत्पश्चात पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा खनन परियोजना की अवधि, खान का परिचय, खनन योजना, खनिज भण्डार, खनन प्रक्रिया, जलवायु, जल बहाव, ढांचा और खनन गतिविधियों के द्वारा जैव विविधता, मिट्टी, पर्यावरणीय, वायु और ध्वनि पर्यावरण पर प्रभाव एवं उनके शमीकरण/रोकथाम के उपायों के बारे में बताया तथा साथ ही पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी कार्यक्रम एवं प्रस्तावित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) के बारे में अवगत करवाया गया।

पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा खनन परियोजना कि विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने के पश्चात राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर के क्षेत्रीय अधिकारी श्री प्रदीप कुमार आसनानी ने जनसुनवाई में उपस्थित समस्त जनसमूह को इस खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपना आक्षेप एवं सुझाव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

इस क्रम में अपने विचार रखते हुए श्री अलसीराम प्रजापत, निवासी गाँव मढ़ द्वारा उक्त खनन परियोजना के प्रतिनिध श्री संजीव शर्मा जी से सवाल किया गया कि खनन इकाई द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में क्या कार्य किये जा रहे है एवं मजदूरों को कैसे लाभ दिया जाता है ?

इसके प्रत्युत्तर में परियोजना के प्रतिनिधि श्री संजीव शर्मा ने बताया कि इकाई द्वारा मढ़ ग्राम के 50 परिवारों का एवं कोटड़ी के 20 परिवारों का चिरंजीवी योजना में पंजीकरण करवाया गया है। इसके अतिरिक्त पिछले 3 साल से कोलायत के अस्पताल में पानी के टैंकरों की निरन्तर सेवा उपलब्ध करवाई जा रही है। कोटड़ी ग्राम में माईन्स एसोसिएशन के सहयोग से चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया था एवं कोविड काल में भी इकाई की तरफ से खाने के पैकेट एवं अन्य सहयोग दिया गया था।

श्री अलसीराम प्रजापत, निवासी गाँव मढ़ ने द्वारा पुनः पूछा गया कि खनन इकाई द्वारा रोजगार के लिये क्या किया जा रहा है एवं मजदूरों को क्या सुविधा दी जा रही है। इसके बारे में विस्तार रूप से बतायें।

इसके प्रत्युत्तर में परियोजना के प्रतिनिधि श्री संजीव शर्मा ने बताया कि खनन इकाई 1974 से चल रही है। खनन उत्पादन क्षमता में वृद्धि के अनुरूप मजदूरों की संख्या भी बढ़ायी गयी है। वर्तमान में 35 से 38 मजदूर कार्यरत है। इसमें से ज्यादातर मढ़ गाँव से है एवं कुछ कोटड़ी गाँव से है तो कुछ कोलायत क्षेत्र से भी है। श्री संजीव शर्मा द्वारा यह भी आश्वस्त किया गया कि खनन परियोजना की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के उपरान्त दिये जाने वाले रोजगार में स्थानीय लोगों को ही प्राथमिकता दी जायेगी।

श्री हुकमाराम, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत मढ़ द्वारा परियोजना के प्रतिनिधि श्री संजीव शर्मा से निवेदन किया गया कि खनन इकाई के पास खेल का मैदान है जिसमें हमारे निवेदन पर आप द्वारा खनन नहीं किया जाता है परन्तु आपसे निवेदन है कि यदि यह क्षेत्र आपकी लीज में आ रहा है तो आप उसे सरेण्डर कर दें ताकि हम खेल मैदान हेतु जमीन आवंटित करवाई जा सके।

इसके प्रत्युत्तर में परियोजना के प्रतिनिधि श्री संजीव शर्मा ने बताया कि खनन परियोजना द्वारा उत्पादन क्षमता में वृद्धि हेतु आवेदन किया गया है तथा साथ ही खनन क्षेत्रफल को कम करते हुए 156 हैक्टेयर से 89.3645 हैक्टेयर कर दिया गया है। खेल के मैदान वाले भाग को सरेण्डर करते हुए इकाई द्वारा खनन क्षेत्र से बाहर कर दिया है। इसके अतिरिक्त इकाई द्वारा बच्चों को प्रोत्साहन के तौर पर खेल सामग्री भी उपलब्ध करवाई जाती है। साथ ही इकाई द्वारा सालाना खेल प्रतियोगिता आयोजित की जाती है जिसमे विजेताओं को पुरस्कार दिया जाता है।

श्री पदमाराम, निवासी ग्राम कोटड़ी द्वारा माईन्स एसोसिएशन से पूछा गया कि ग्राम मढ़ एवं कोटड़ी में संचालित स्कूलों के बच्चों हेतु क्या प्रयास किये जा रहे है ?

इसके प्रत्युत्तर में माईन्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि श्री राजेश चूरा ने बताया कि ग्राम मढ एवं कोटड़ी में संचालित स्कूलों में कोई खेलने का मैदान नहीं था तब ग्रामवासियों के आग्रह पर माईन्स एसोसिएशन द्वारा जमीन खरीद कर स्कूलों के नाम रजिस्ट्री करवाई गई। श्री राजेश चूरा जी ने प्रशासन से आग्रह किया कि रॉयल्टी पर जो डी.एम.एफ.टी. की राशि ली जाती है उस राशि का उपयोग जितना इस क्षेत्र में किया जा सकता था उतना नहीं हो पा रहा है। माईन्स एसोसिएशन का यह प्रयास रहा है कि डी.एम.एफ.टी. फण्ड से क्षेत्र का जितना विकास किया जा सकता है उसमें हम योगदान दे रहे है और आगे भी देते रहेगें। साथ विद्यालय के लिये जब भी कोई जरूरत होगी एसोसिएशन उसका पूरा करने का प्रयास करते आये है और करते रहेगें। माईन्स एसोसिएशन द्वारा मजदूरों एवं ग्रामीणों को परिवार का सदस्य मानते हुए उनकी समस्याओं को सुलझाने हेतु पूरा प्रयास किया जाता है। इसके अतिरिक्त कोविड के दौरान एसोसिएशन द्वारा 5 ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर प्रशासन को उपलब्ध करवाये गये। अस्पताल के एम्बुलेंस के डीजल खर्च का वहन भी एसोसिएशन की तरफ से किया जा रहा है एवं भविष्य में भी किया जाता रहेगा। माईन्स एसोसिएशन द्वारा कोलायत क्षेत्र में चिकित्सा संबंधी सभी सुविधाएं यथा दवाईया, चिकित्सा उपकरण भी उपलब्ध करवाये जा रहे है। माईन्स एसोसिएशन खनिज संरक्षण, विकास, इको फ्रेण्डली माईनिंग, लेबर वेलफेयर एवं सी.एस.आर गतिविधियों हेतु सदैव तत्पर एवं संकल्पित है।

अंत में श्री प्रदीप कुमार आसनानी, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर ने श्रीमान अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय एवं उपस्थित जन समुदाय को जन सुनवाई में आने के लिए आभार प्रकट किया एवं जनसुनवाई के समापन की घोषणा की।

(प्रदीप कुमार आसनानी)
क्षेत्रीय अधिकारी,
रा.रा.प्र.नि.म., बीकानेर

(ओमप्रकाश)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
प्रतिनिधि, जिला कलेक्ट्रेट एवं मजिस्ट्रेट
बीकानेर

जन सुनवाई हेतु नामित पदाधिकारियों एवं नागरिकों का उपस्थिति पत्र

मैसर्स रामा देवी शर्मा, (एम एल नम्बर 09 / 1993 क्षेत्रफल 89.3645 हैक्टेयर), उत्पादन क्षमता 7,04,446 टी.पी.ए (रोम), जो कि खसरा नम्बर 868, 873, 867, 871, 878, 4, 133, 134, ग्राम–मढ़–कोटड़ी, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर (बॉल क्ले एवं फायर क्ले–3,75,290 टी.पी.ए. एवं ओ.बी.–3,29,157 टी.पी.ए.) में प्रस्तावित है कि पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 21.03.2023 को आयोजित जन सुनवाई की बैठक ।

स्थानः– ग्राम पंचायत भवन मढ़कोटड़ी, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर
दिनांकः–21.03.2023 समय मध्यान्ह 03.00 बजे।

क्र.स.	नाम	पद एवं विभाग / कार्यालय	हस्ताक्षर
1.	श्री ओमप्रकाश	ADM (Admin), District Collectorate Bikaner	[signature]
2.	श्री प्रदीप आसनानी	Regional Officer, RSPCB, Bikaner	[signature]
3.	हुकमाराम नायक	सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत मढ़	[signature]
4.	सोहनलाल	सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत कोटड़ी	[signature]
5.	Girish Vyas	AEE, RO, RSPCB, Bikaner	[signature]
6.	Hitendra	Bikaner	[signature]
7.	Sanjeev Sharma	99-100 Ind. Area, Bkn	[signature]
8.	Dinesh Prof.	Bogo Mohalla Bikaner	[signature]
9.	Rajesh Chura	Bikaner Distt Mine Owners Association	[signature]
10.	Niyaz Mohd.	Village Mad-Kolayat (Bikaner)	[signature]
11.	उमरसीराम प्रजापत	मढ़	[signature]
12.	Saurabh Chandra	Bikaner Dist. Mine Owners' Association, Bikaner	[signature]
13.	Sandeep Chandra	Bikaner Distt. Mine Owner's Association Bikaner	[signature]
14.	Anil Chandra	Bikaner Distt. Mine Owners Association, Bikaner	Anil Chandra
15.	परमाराम कोटड़ी		[signature]
16.	फोजीराम ओड	गांव कोटड़ी	फोजीराम

17.	दुड़ादास	गाँव मठ	दुड़ादास
18.	अनोपसिंह	गाँव कोटड़ी	अनोपसिंह
19.	वासुदेव सांखी	गांव कोटड़ी	[illegible]
20.	गोरधनराम	ग्राम मठ	गोरधनराम
21.	रमेश		Ramesh
22.	दीपक	ग्राम मठ	दीपक
23.	KaluRam	ग्राम मठ	KaluRam
24.	दिनेश	मठ	मठ
25.	जीवण जाखड़िया	ग्राम मठ.	जीवण
26.	जितेन्द्र जाखड़िया	ग्राम मठ.	जितेन्द्र
27.	अर्जुन प्रजापत	ग्राम - मठ	[illegible]
28.	अशोक प्रजापत	ग्राम - मठ	अशोक
29.	राधेश्याम	ग्राम कोटड़ी	राधेश्याम
30.	पुलकीराम	ग्राम कोटड़ी	पुलकीराम
31.	दामोदर	ग्राम मठ	दामोदर
32.	दिनाराम	ग्राम कोटड़ी	दिनाराम
33.	अनिल	ग्राम मठ	अनिल
34.	बजरंग	ग्राम मठ	बजरंग
35.	हिराराम	सोलापुर	हिराराम
36.	मघाराम	कोटड़ी	मघाराम
37.	छोगाराम	कोटड़ी	छोगाराम
38.	राजूदान	मठ	राजूदान
39.	सुनिल	मठ	सुनिल

40.	श्रवण कुमार	मठ	श्रवण कुमार
41.	अशोक कुमार	मठ	अशोक कुमार
42.	रोहिताश	बीकानेर	रोहिताश
43.	कैलाश	मठ	कैलाश
44.	कालूराम	कोटड़ी	कालूराम
45.	रेवन्तराम	कोटड़ी	रेवन्तराम
46.	श्यामलाल सुखवाल consultant	उदयपुर (राज	Shyamlal
47.	शिव कुमार लखारा	SIA coordinator (EGCIPL) उदयपुर	[illegible]
48.			
49.			
50.			
51.			
52.			
53.			
54.			
55.			
56.			
57.			
58.			
59.			
60.			
61.			
62.			